



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्र./अका./सम्बद्धता/2017/1317

दिनांक : 26-12-17

प्रति,

प्राचार्य,  
माँ जिनवाणी कॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज  
पुष्पगिरी, सोनकच्छ, जिला-देवास।

विषय :- सत्र 2017-18 से बी.ए.एल.एल.बी.-द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।


संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/191, दिनांक 31.10.2017,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा सत्र 2017-18 से बी.ए.एल.एल.बी.-द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु आवेदन किया गया है, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण समिति का गठन उपरांत गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.12.2017 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“निर्णय लिया गया कि, माँ जिनवाणी कॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज, पुष्पगिरी, सोनकच्छ, जिला-देवास में परिनियम क्रमांक 28 की नियुक्ति कराने के पश्चात् प्रकरण आगामी विद्यापरिषद् की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये।”

अतः उक्त निर्णय के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि, महाविद्यालय में परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन अतिशीघ्र करवा कर सूचित करें, ताकि, प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

आदेशानुसार


  
कुलसचिव

क्र./अका./सम्बद्धता/2017/1318

दिनांक : 26-12-17

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
02. प्राचार्य, शा. के.पी. स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, देवास।
03. उप/सहायक कुलसचिव, लेखा/परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. प्रभारी, ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
05. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर की ओर उक्त पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
06. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
उपकुलसचिव (अकादमिक)